

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

संख्या

/ ए-1 / 541

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधी.अभि. प्रथम वृत्त(शि.का.), लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त(म०) के अनुमोदन दिनांक 20.05.2017 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशा. एवं वित्तीय स्वी. एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं० परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1-	159044 ओबरी योजना बाराबंकी में 21 नग (18/40) प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	75.20	308/01(17-18)

- उक्त कार्य उ० प्र० लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रशा.स्वी.से लेकर कार्यपूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.न.के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- विस्तृत प्रायकलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं/कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधि.अभि./अधी.अभि.का होगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न हो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- प्रश्नगत कार्य हेतु निविदा एकल गुप में आमंत्रित की जायेगी।
- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त कार्य प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त 08 में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

A.E-I/J.E(B)

31/5/17

पू०सं०: 1622 / उक्त / 541

दिनांक

26-5-2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अ०आ०आ० एवं सचिव/मुख्य अभि०, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/प्रथम वृत्त(शि०का०), उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधिरासी अभियन्ता(मु०)/निर्माण खण्ड-02, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- गार्ड फाइल हेतु।

(एस०के०शायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)

अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)